यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मसूरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मसूरी के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मनोज कुमार, सुपरवाइजर तथा श्री मातवर सिंह राणा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.03.2021 से 26.03.2021 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री चन्द्रमोहन सिंह रावत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) तथा श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.07.2019 से 27.07.2019 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** धनोल्टी, मसूरी तहसील, ट्रेडर्स एवं संविदाकार

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	1209.11
2018-19	1316.37
2019-20	1302.44

(ii) (ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
2017-18	-	-	-	-	58.57	55.56	-	-
2018-19	-	-	-	-	49.27	44.89	-	-
2019-20	-	-	-	-	18.17	15.82	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुऐ इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मसूरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मसूरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन: -** जी.एस.टी. मे ऑनलाइन पेमेंट होने के कारण डीसीआर नहीं बनाया जाता है।

राजस्व: ------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: अगस्त - 2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखापरीक्षा
भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 संविदाकार को अनियमित वापसी ` 4.48 लाख ।

प्रस्तर-02 नियमानुसार कर निर्धारण न किया जाना।

प्रस्तर-03 नियमानुसार कर निर्धारण न किया जाना।

प्रस्तर-04 संविदाकार फर्म पर कर आरोपणीय ना किया जाना रू0 43.06 लाख।

प्रस्तर-05 संविदाकार फर्म पर कर आरोपणीय ना किया जाना रू0 7.30 लाख। तथा विकल्प प्रार्थना–पत्र संविदा की तिथि से 180 दिनों के बाद भी नही दिये जाने के बाबजूद संविदाकार फर्म का अंतिम कर निर्धारण धारा 7 की उपधारा (2) में करके अनियमित तरीके से कर की धनराशि को रिफण्ड किया जाना।

प्रस्तर-06 संविदाकार फर्म पर कर आरोपणीय ना किया जाना रू0 48.81 लाख। तथा विकल्प प्रार्थना–पत्र संविदा की तिथि से 180 दिनों के बाद भी नही दिये जाने के बाबजूद संविदाकार फर्म का अंतिम कर निर्धारण धारा 7 की उपधारा (2) में करके अनियमित तरीके से कर की धनराशि को रिफण्ड किया जाना।

प्रस्तर-07 सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.38 लाख ।

प्रस्तर-08 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.21 लाख ।

प्रस्तर-09 क्रय बीजकों के अभाव में आई.टी.सी. का अनियमित लाभ ₹1.52 लाख।

STAN

प्रस्तर-01 फार्म - एच के सत्यापन से संबन्धित।

व्यय की लेखापरीक्षा
भाग-II (अ)
शून्य

भाग-II (ब)
शून्य

(राजस्व की लेखापरीक्षा)

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर- 01 संविदाकार को अनियमित वापसी ` 4.48 लाख ।

शासनादेश संख्या: 675/2015/14(120)/XXVII(8)/06, दिनांक 10.08.2015 एवं पत्र संख्याः 243/2016/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 21.06.2016 के बिन्दु संख्या 3(ग) के अनुसार, सिविल संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी ।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0), राज्य कर, मसूरी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि संविदाकार सर्वश्री कत्याल एण्ड एसोसिएट्स, बार्लोगंज, मसूरी (टिन नं0 05008397315) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का अनुबन्ध दिनांक 18.12.2015 को गठित हुआ था । संविदाकार द्वारा दिनांक 13.01.2016 को समाधान योजना हेतु प्रार्थना पत्र दिया था । संविदाकार को वर्ष 2016-17 में ` 1,55,75,405 का भुगतान प्राप्त हुआ । संविदाकार द्वारा 14 फार्म-16 का प्रयोग करके प्रान्त के बाहर से ` 24,46,957 का माल आयात किया जो कि भुगतान की गयी धनराशि से 5% अधिक था । अत: भुगतान राशि पर नियमानुसार 6% की दर से कर देयता थी । जबकि, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान की गयी धनराशि पर 2% की दर से समाधान राशि निर्धारित करते हुये एवं 5% से अधिक आयातित माल की धनराशि ` 16,68,187 पर लाभांश जोड़ते हुये ` 19,00,000 पर धारा 25(6) के अन्तर्गत ` 1,74,800 का कर आरोपित किया था एवं 5% से कम माल पर 2% की दर से ₹ 3,11,508/-समाधान राशि निर्धारित की थी। इस प्रकार कुल ₹ 4,86,308/- को संविदाकार द्वारा दाखिल प्रपत्र-8 के अनुसार ` 9,34,524 टी.डी.एस के समायोजन उपरान्त धनराशि ` 4,48,216 दिनांक 17.07.2019 को वापस कर दी गयी थी।

इस प्रकार, ` 1,55,75,405 का 6% ` 9,34,524 समाधान राशि निर्धारित की जानी चाहिये थी एवं संविदाकार द्वारा दाखिल प्रपत्र-8 के अनुसार ` 9,34,524 का समायोजन के उपरान्त कोई भी धनराशि वापसी योग्य नहीं थी । जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 4,48,216 की धनराशि वापस कर दी थी।

अतः ` 4,48,216 वापस की गयी अधिक धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः संविदाकार को अनियमित वापसी `4.48 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर 02 नियमानुसार कर निर्धारण न किया जाना।

शासनादेश सं0243/2016/14(120)/XXVII(8)06 के बिन्दु 9 के अनुसार जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वह इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना पत्र, संविदा की तिथि से 90 दिन के अंदर, अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । संविदा के निष्पादन के संबंध में प्राप्त किए गए भुगतान पर उपरोक्तानुसार आगणित समाधान राशि, प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अंदर, देय समाधान राशि तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिशनर ,राज्य कर मसूरी की लेखापरीक्षा के दौरान मैसर्स आई0बी0एम0जेड कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 बालोगिज मसूरी टिन संख्या 05010032541 का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु धारा 7 (2) के अन्तर्गत विकल्प प्रार्थना–पत्र प्रारूप 723 समाधान योजना राशि का विकल्प जिसकी रसीद संख्या 12161716011570 दिनांक 16.9.2016 द्वारा दिया गया था। परन्तु अनुबन्ध संख्या का विकल्प प्रार्थना–पत्र में उल्लेख नही था और न ही अनुबन्ध संख्या की सत्यापित प्रति ही अंतिम कर निर्धारण पत्रावली में पायी गयी जिससे यह ज्ञात हो सके कि संविदाकार को संविदी विभाग द्वारा किस दिनांक को अनुबन्ध दिया गया था। कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.6.2019 में संगत वर्ष में प्राप्त भुगतान रू0 78,98,487.00 पर 6 प्रतिशत समाधान शुल्क ₹ 4,73,919/-करते हुये जमा टी0डी0एस0 रू0 473,919.00 के विरूद्ध समायोजन कर मुक्त घोषित किया गया था, जोकि वैट अधिनियम 2005 की धारा 7-(2) एवं समाधान योजना के प्रावद्यानों के वपरीत था। अत: संविदाकार का वैट अधिनियम 2005 की धारा 25(6) में नियमित कर निर्धारण किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षित में अपेक्षित रहेगी।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-03 नियमानुसार कर निर्धारण न किया जाना।

शासनादेश सं0243/2016/14(120)/XXVII(8)06 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2)में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वह इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना पत्र , संविदा की तिथि से 90 दिन के अंदर, अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । संविदा के निष्पादन के संबंध में प्राप्त किए गए भुगतान उपरोक्तानुसार आगणित समाधान राशि, प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अंदर, देय समाधान राशि तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर कर निर्धारण राज्य कर कार्यालय मसूरी की लेखापरीक्षा के दौरान मैसर्स जे0जे0 रियल इस्टेट कन्स्ट्रक्शन मसूरी टिन संख्या 05007502296 का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु धारा 7 (2) के अन्तर्गत विकल्प प्रार्थना–पत्र प्रारूप 723 समाधान योजना राशि का विकल्प लेने के लिये कार्यालय में रसीद संख्या 0902270816257 दिनांक 27.08.2016 द्वारा जमा कराया गया था। परन्तु अनुबन्ध संख्या का प्रार्थना–पत्र में उल्लेख नही था और ना ही अनुबन्ध की सत्यापित प्रति ही अंतिम कर निर्धारण पत्रावली में लगी थी। जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि संविदाकार को संविदी विभाग द्वारा किस दिनांक को अनुबन्ध दिया गया था। कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.4.2019 में संगत वर्ष में प्राप्त भुगतान रू0 1,17,11,818 पर 2 प्रतिशत समाधान शुल्क रू0 2,34,237.00 निर्धारित करके किया गया था, चूकि संविदाकार द्वारा फार्म 8 डी जोकि टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र रू0 4,50,317.00 का जमा है, संविदाकार को अवशेष अधिक टी0डी0एस0 जमा रू0 2,16,080.00 का रिफण्ड किया गया है जोकि वैट अधिनियम 2005 की धारा 7(2) के प्रावधानों एवं समाधान योजना के प्रावद्यानों के विपरित था।इसलिये संविदाकार का वैट अधिनियम 2005 की धारा 25(7) में नियमित कर निर्धारण इस प्रकार किया जाना था।

₹ 1,17,11,818x30 Labour ₹ 35,13,545

₹1,17,11,818- ₹ 35,13,545= ₹81,98,273.00

₹81,98,273 को तीन समानुपातिक में बॉटते हुऐ कर आरोपणीय किया जाना था।

₹27,37,258x5% = ₹1,36,863.00

₹27,37,258x9%= ₹2,46,353.00

₹27,37,258x13.5%= ₹ 3,69,530.00

Total Tax ₹ 7,52,746.00

Less TDS ₹ 4,50,317.00

Tax Recoverd ₹ 3,02,429.00

संगत वर्ष 2016–17 में संविदाकार पर रू0 3,02,429.00 कर आरोपणीय किया जाना था। जोकि नही किया गया था।

इस सबंध में पूछने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि व्यापारी द्वारा रसीद संख्या 0902070616375 दिनांक 7.6.2016 के द्वारा विकल्प प्रार्थना–पत्र कार्यालय में दाखिल किया गया था। व्यापारी द्वारा अवगत कराया गया कि ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र दाखिल करते समय त्रृटिवंश शून्य सेव हो गया था। व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनको अनुबन्ध दिनांक 2.5.2016 तथा 14.5.2016 को मिला जिसकी जानकारी नियमानुसार दिनांक 7.6.2016 को राज्य कर कार्यालय में दे दी गयी थी।

विभागीय उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य नही है क्योकि व्यापारी संविदाकार के द्वारा जिस रसीद संख्या का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार संविदाकार द्वारा विकल्प प्रार्थना–पत्र प्रारूप संख्या 723 दिनांक 19.4.2016 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, उस समय अवधि में संविदाकार को कार्य संविदा का आवंटन ही नही हुआ था, इसलिये ही विकल्प प्रार्थना–पत्र में जानबुझकर कॉलमों में अनुबन्ध संख्या एवं संविदी का विभाग अंकित करने के बजाय NA or (0) लिखा गया था,। जोकि **मान्य नहीं** था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर- 4 संविदाकार फर्म पर कर आरोपणीय ना किया जाना रू0 43,06 लाख।

शासन कें पत्रांक संख्या 330/2012/14/1200/XXVII(8)/06 वित्त अनुभाग–06 देहरादून दिनांक 17 अप्रैल 2012 (दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 31.3.2015 तक) एवं शासन के संरकुलर संख्या 243 दिनांक 21.6.2016` समाधान योजना लागू किये जाने की शासन के निर्देश संख्या (9) में यह कहा गया कि यह योजना ऐच्छिक होगी और संविदाकार इसे न अपनाना चाहे तो उसका नियमित कर निर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वह ऐसे प्रार्थना–पत्र प्रारूप में संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी धनराशि पर प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क भी जमा किया जायेगा। जो संविदी द्वारा काटी जा चुकी है,उसका उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में निर्धारित प्रारूप मे प्रमाण–पत्र देने पर धारा 35 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटा दी जाएगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 90 दिन के अन्दर 1. 25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित दिया जा सकता है। किसी संविदाकार के लिए इस बात की अनुमति नही होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं मे से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दे। प्राप्त अनुबन्ध की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर कर निर्धारण,राज्य कर कार्यालय मसूरी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्व श्री एस0एस0एसोसिऐट मसूरी टिन संख्या 05015882902(दिनांक 7/8/2015 से प्रभावी) वर्ष 2016–17 की अंतिम कर निर्धारण पत्रावली एवं जारी कर आदेश दिनांक 20.3.2020 का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार फर्म के द्वारा (सिविल संकर्म एवं अविभाजित संविदा के लिये उत्तराखंण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7की उपधारा 2 में शासन की समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प) रसीद संख्या 0902190516054 दिनांक 19.5.2016 को लिया गया है, जिसमें कॉलम संख्या 01 से कॉलम संख्या 17 तक में NA या 0 लिखा गया है। संविदाकार के द्वारा दिनांक 19.4.

2016 को विकल्प लेने का प्रार्थना–पत्र दिया गया होना भी बताया गया है। संविदाकार द्वारा की गयी घोषणा में यह कहा गया है कि विकल्प लेने के प्रार्थना–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र कर रहा हूँ। तथा प्रस्तर 2 में अंकित संविदाओं/अनुबन्धो की प्रमाणित प्रतियॉ पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त संविदा पर देय समाधान राशि मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा संविदी द्वारा कटौती कर ली गयी है। प्रस्तर दो में अंकित विवरण के अतिरिक्त मुझे न तो कोई संविदा मिली है और न ही मैने संविदा संबंधी कोई भुगतान प्राप्त किया हैं। इस सबंध में समाधान विकल्प प्रार्थना–पत्र की लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि समाधान का विकल्प प्रार्थना–पत्र जिस तिथि को होना बताया गया है, उस तिथि में संविदाकार द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया ही नही गया था, क्योकि प्रार्थना पत्र में तिथि जानबुझकर अंकित ही नही की गयी,और ना ही उस तिथि में संविदाकार को कोई नया अनुबन्ध ही प्राप्त हुआ था।फिर भी कार्यालय द्वारा उसको स्वीकार करके अनियमित तरीके से प्रार्थना–पत्र की तिथि को अंकित करके एक माह के भीतर दिनांक 19.5.2016 को आर–29 की रसीद काटकर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर लिया गया था। जोकि शासन द्वारा जारी संरकुलर के नियमों के विपरीत था।

संगत वर्ष **2016–17** में संविदाकार एस0एस0एसोसिएट मसूरी टिन संख्या 05015882902 को कुल भुगतान रू0 60669077.00 संविदी विभाग से प्राप्त होना दशाते हुऐ 2 प्रतिशत की दर से रू0 12,13,382.00 समाधान शुल्क निर्धारित करके संगत वर्ष में संविदी विभाग द्वारा की गयी टी0डी0एस0 कटौती धनराशि रू036,40,145.00 में घटाकर अधिक जमा धनराशि को संविदाकार को वाउचर संख्या 2540 दिनांक 11.5.2020 को रू0 24,26,763.00 वापस कर दिया गया था, जोकि समाधान योजना के निर्देश के विपरीत था। क्योकि संविदाकार को वर्क ऑडर संख्या 001/2014–15 दिनांक 25.8.2015 को एवं संशोधित दिनांक 8.10.2015 को कुल रू0 4,26,88,395.20 की संविदी विभाग से प्राप्त हुई थी। दूसरा वर्क ऑडर संख्या 001/2016–17 दिनांक 3.4.2016 को रू0 3,72,23,515.00 कुल रू0 7,99,11,910.00 का वर्क ऑडर संविदी विभाग से प्राप्त हुआ था। दोनो ही अनुबन्धो के लिये संविदाकार द्वारा वैट अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(2) के अनुसार संविदी की प्राप्ति दिनांक के बाद से 180 दिन और या 30 वाली शर्तो के अनुसार विकल्प नही दिया गया था, इसलिये संविदाकार को प्राप्त संविदी विभाग से प्राप्त वर्क ऑडर को समाधान शुल्क योजना से बहार करके नियमित कर निर्धारण की कार्यवाही करके कर आरोपणीय किया जाना था, जो इस प्रकार था। इससे स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा समाधान का विकल्प नही लिया गया है। इसलिये संविदाकार का वैट अधिनियम 2005 की धारा 25(6) में नियमित कर निर्धारण किया जाना था। जोकि इस प्रकार हैः–

₹ 6,06,69,077 x(-)30% labour= ₹ 1,82,00,721.00

Balance Amounts ₹ 4,24,68,356 को तीन समानुपात भाग में विभाजित कर दिया जाये तो इस प्रकार कर आरोपणीय होना था।

₹1,41,56,119x5%= ₹7,07,806.00

₹1,41,56,119x9%= ₹12,74,050.00

₹1,41,56,119x13.5%= ₹19,11,077.00

total tax ₹ 38,92,932.00 कर आरोपणीय होना था, व्यापारी संविदाकार का संगत वर्ष में जमा टी0डी0एस0 ₹36,40,145.00 का लाभ देते हुऐ ₹ 2,52,787.00 कर की वसूली भी आरोपणीय है।

2. इस प्रकार जारी अंतिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.3.2020 के अनुसार 2017–18 का प्रकरण भी इसी प्रकार से है। इसलिये इस पर भी पूर्व की भॉति नियमानुसार कर आरोपणीय होगा। संगत वर्ष में प्राप्त ₹ 64,35,650 x(-)30% labour ₹ 19,30,695.00 को संगत वर्ष में प्राप्त धनराशि में से घटाने के उपरान्त Balance Amounts ₹ 45,04,955.00 को तीन समानुपात भाग में विभाजित कर दिया जाये तो इस प्रकार कर आरोपणीय होना था।

₹15,01,651x5%= ₹75082.00

₹15,01,651x9%=₹ 1,35,148.00

15,01,651x13.5%= 2,02,723.00

total tax ₹ 4,12,953.00 कर आरोपणीय किया जाना था, व्यापारी संविदाकार का संगत वर्ष में टी0डी0एस0 ₹ 3,86,139 जमा का लाभ देते हुऐ अवशेष ₹ 22,814.00 कर की वसूली संविदाकार से की जानी थी, जोकि नही की गयी थीं।

इस संबध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2015–16 में दिनांक 25.8.2015 को अनुबन्ध मिला जिसका समाधान प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.8.2015 को ऑनलाइन दाखिल किया गया, रसीद संख्या 0902091015849 दिनांक 9.10.2015 को कार्यालय में दाखिल किया गया। यही पुरानी संविदा को वर्ष 2016–17 में भी कार्यरूप दिया गया। व्यापारी द्वारा **इसलिये** वर्ष 2016–17 के प्रार्थना–पत्र में पुराने संविदा का जिक्र नही की गई है। वर्ष 2016–17 में व्यापारी को एच0पी0सी0एल0 वर्क अनुबन्ध 01 दिनांक 3.4.2016 को मिला जिसके समाधान प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.4.2016 को ऑनलाईन दाखिल की गई एव कार्यालय में दिनांक 19.5.2016 रसीद संख्या 0902190516054 द्वारा किया गया। व्यापारी द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन प्रार्थना–पत्र सेव करते समय तकनीकी खराबी के कारण शुन्य की राशि दर्ज हो गई जो बाद में प्रयास के बाबजूद भी एडिट नही हो सका।

विभागीय उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य नही है, क्योकि संविदाकार के प्रार्थना–पत्र की तिथि एवं कार्यालय अभिलेख के अनुसार आर–29 उल्लिखित रसीद संख्या की तिथियॉ में एक माह से

अधिक अवधि व्यतित होने के बाद आर–29 की रसीद कॉटी गयी थी, ऐसा वर्ष 2016–17 और वर्ष 2017–18 में कार्यालय के द्वारा निरन्तर किया गया था,जिसका लाभ संविदाकार फर्म लिया गया है। जोकि वैट अधिनियम 2005/ वैट नियम एवं शासन द्वारा जारी समाधान योजना में उल्लिखित की गयी शर्तो के विरूध्द था। क्योकि प्रत्येक वर्ष तकनीकी खराबी केवल संविदाकार फर्म द्वारा दाखिल 7(2) के विकल्प प्रार्थना–पत्रों में ही पायी गयी है, तथा विकल्प दाखिल तिथि से 1माह से अधिक समय अवधि व्यतीत होने के उपरान्त जिनकी आर–29 की रसीद कार्यालय के द्वारा काटी गयी थी, जिसमें संविदा शून्य प्राप्त होना बताया गया हैं । जब संविदाकार को संविदा मिली ही नही तो विकल्प प्रार्थना–पत्र ऑनलाइन दाखिल करने का क्या औचित्य था, तथा कार्यालय द्वारा अपूर्ण विकल्प–प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करके एक माह बाद आर 29 की रसीद किस आवंटित संविदा के सापेक्ष 2 प्रतिशत की कटौती करने हेतु काटी गयी थी, दाखिल विकल्प प्रार्थना–पत्र में उसका उल्लेख ही शून्य किया गया था, तो रसीद काटने का औचित्य ही क्या था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर 5- संविदाकार फर्म पर कर आरोपणीय ना किया जाना ₹ 7.30 लाख। तथा विकल्प प्रार्थना –पत्र संविदा की तिथि से 180 दिनों के बाद भी नही दिये जाने के बाबजूद संविदाकार फर्म का अंतिम कर निर्धारण धारा 7 की उपधारा (2) में करके अनियमित तरीके से कर की धनराशि को रिफण्ड किया जाना।

शासन कें पत्रांक संख्या 330/2012/14/1200/XXVII(8)/06 वित्त अनुभाग–06 देहरादून दिनांक 17 अप्रैल 2012 (दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 31.3.2015 तक)की अवधि के लिये समाधान योजना लागू किये जाने की शासन के निर्देश संख्या (9) में यह कहा गया कि यह योजना ऐच्छिक होगी और संविदाकार इसे न अपनाना चाहे तो उसका नियमित कर निर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वह ऐसे प्रार्थना–पत्र प्रारूप में संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी धनराशि पर प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क भी जमा किया जायेगा। जो संविदी द्वारा काटी जा चुकी है,उसका उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में निर्धारित प्रारूप मे प्रमाण–पत्र देने पर धारा 35 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटर दी जाएगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 90 दिन के अन्दर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित दिया जा सकता है। किसी संविदाकार के लिए इस बात की अनुमति नही होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं मे से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दे। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, उन्हे अगले वर्ष से संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी। संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धो के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी। शासन के संरकुलर संख्या 243 दिनांक 21.6.2016 के अनुसार संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से

सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धो के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर, कर निर्धारण राज्य- **कर** मसूरी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्व श्री ए0पी0एस0 स्ट्रक्चर तारा हॉल मसूरी टिन संख्या 05015882902 (दिनांक 19/2/2001 से प्रभावी) **वर्ष 2015–16** की अंतिम कर निर्धारण पत्रावली एवं जारी कर आदेश दिनांक 12.12.2019 का अवलोकन करने पर पाया गया कि संविदाकार फर्म के द्वारा (सिविल संकर्म एवं अविभाजित संविदा के लिये उत्तराखंण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7की उपधारा 2 में शासन की समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प) का प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.11.2015 को प्रस्तुत किया गया था जिसके सापेक्ष रसीद संख्या 0902091215406 दिनांक 09/12/2015 को लिया गया है, जिसमें कॉलम संख्या 01 से कॉलम संख्या 5 तक में दो अनुबन्ध संख्या 19 एवं 28 वर्ष 2010–11 क्रमशः रू0 31312830.00 एवं रू0 30333068.00 से सम्बन्धित सूचना अंकित की गयी है बाकी सभी कॉलम में NA या 0 लिखा गया है। संगत वर्ष 2015–16 में संविदाकार फर्म को कुल भुगतान रू0 1,26,87,807 संविदी विभाग से प्राप्त होना बताया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 31,34,849.00 विभाग द्वारा कराया गया जॉब वर्क का काम दशाते हुऐ इस धनराशि पर कर मुक्ति प्रदान की गयी है, अवशेष रू0 95,52,958.00 पर 1 प्रतिशत की दर से रू0 95,529.00 समाधान शुल्क निर्धारित करके संगत वर्ष में संविदी विभाग द्वारा की गयी टी0डी0एस0 कटौती धनराशि रू0 1,17,689.00 में घटाकर अधिक जमा धनराशि को संविदाकार को वाउचर संख्या 2499 दिनांक 8.1.2020 को रू0 22160.00 वापस कर दिया गया था, जोकि समाधान योजना के निर्देश के विपरीत था। क्योकि संविदाकार को संविदी विभाग से जो अनुबन्ध प्राप्त हुआ थे वह वर्ष 2010–11 से सम्बन्धित है ,दोनो ही अनुबन्धो के लिये संविदाकार द्वारा वैट अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(2) के अनुसार संविदी की प्राप्ति दिनांक के बाद से 180 दिन और या 30 वाली शर्तो के अनुसार विकल्प नही दिया गया था, जैसाकि कर पत्रावली में उपलब्ध अनुबन्ध एवं जारी कर आदेशो से विदित होता है, इसलिये संविदाकार को प्राप्त संविदी विभाग से प्राप्त वर्क ऑडर को समाधान शुल्क योजना से बहार करके नियमित कर निर्धारण की कार्यवाही करके कर आरोपणीय किया जाना था, जो इस प्रकार था। वर्ष 2010–11 में संविदाकार द्वारा समाधान का विकल्प लिये जाने सम्बन्धित कोई आदेश वर्ष 2015–16 की अंतिम कर निर्धारण पत्रावली पर नही है। इससे स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा समाधान का विकल्प नही लिया गया है। इसलिये संविदाकार का वैट अधिनियम 2005 की धारा 25(7) में नियमित कर निर्धारण किया जाना था। जोकि इस प्रकार हैः–

₹ 1,26,87,807 x(-)30% labour= ₹ 38,06,342.00

Balance Amounts ₹ 88,81,465.00 को तीन समानुपात भाग में विभाजित कर दिया जाये तो इस प्रकार कर आरोपणीय होना था।

₹ 29,60,488 x5%= ₹ 1,48,024.00

₹ 29,60,488 x9%= ₹ 2,66,444.00

₹ 29,60,488.13.5%= ₹ 3,99,666.00

total tax ₹ 8,14,134.00 कर आरोपणीय होना था, व्यापारी संविदाकार का संगत वर्ष में जमा टी0डी0एस0 ₹ 1,17,689 का लाभ देते हुऐ ₹ 6,96,445 कर की वसूली भी आरोपणीय है।

2. इस प्रकार जारी अंतिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2019 के अनुसार 2016–17 का प्रकरण भी इसी प्रकार से है। इसलिये इस पर भी इसी अनुसार कर आरोपणीय है।

₹1,18,05,200 x(-)30% labour ₹35,41,560.00

Balance Amounts ₹ 82,63,640.00 को तीन समानुपात भाग में विभाजित कर दिया जाये तो इस प्रकार कर आरोपणीय होना था।

₹ 27,54,547x5%= ₹ 1,37,727.00

₹ 27,54,547x9%= ₹ 2,47,909.00

₹ 27,54,547x13.5%= ₹ 3,44,864.00

total tax ₹ 7,30,500.00 कर आरोपणीय किया जाना था, व्यापारी संविदाकार का संगत वर्ष में जमा टी0डी0एस0 ₹ 5,26,474.00 का लाभ देते हुऐ ₹ 2,04,026.00 कर की वसूली भी आरोपणीय है।

इस संबंध में पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त दोनो अनुबन्धो के विरूद्व वर्ष 2010–11 में समयान्तर्गत विकल्प प्रार्थना–पत्र कार्यालय में दाखिल की गयी है। वर्ष 2010–11 के पत्रावली में दोनो अनुबन्ध संख्या 19 एवं 28 हेतु पत्रांक संख्या 382 दिनांक 30.9.2010 एवं पत्रांक संख्या 309 दिनांक 31.01.2011 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35(1)

के अन्तर्गत आदेश पारित है। इसलिये उपरोक्त तथ्यो के आधार पर धारा 7(2) के अन्तर्गत उल्लेखित अनुबन्धो का वर्ष 2015–16 में कर निर्धारण किया गया ।

विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा में मान्य ही नही है, क्योकि कार्यालय द्वारा संविदाकार के जिस 7(2) विकल्प प्रार्थना–पत्र का उल्लेख किया गया है, उसमें संविदा की आवंटित संख्या में शून्य दर्शाया गया हैं, वह केवल धारा 35(1) के अन्तर्गत संविदी विभाग से संविदा की भुगतान की जाने वाली धनराशि पर कटौती करने के आदेश पारित करने के सम्बन्ध था, जिसके लिये अनुबन्ध संख्या 19 एवं 28 में आदेश जारी नही किये गये थे, बल्कि धारा 35(1)/69/ए0बी0/जीकेएम/1245/दिनांक 31.7.2010 के लिये संविदी विभाग को दिये गये थे। संविदाकार द्वारा 7 (2) विकल्प प्रार्थना–पत्र का आवंटित संविदा के लिये कार्यालय में निर्धारित समय अवधि तक दिया ही नही गया था। इसलिये वैट अधिनियम 2005 के प्रावद्यानों के अनुसार संविदाकार फर्म का 25 (7) किया जाना था, जो कि नही किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर 06- संविदाकार फर्म पर कर आरोपणीय ना किया जाना रू0 48.81 लाख। तथा विकल्प प्रार्थना–पत्र संविदा की तिथि से 180 दिनों के बाद भी नही दिये जाने के बाबजूद संविदाकार फर्म का अंतिम कर निर्धारण धारा 7 की उपधारा (2) में करके अनियमित तरीके से कर की धनराशि को रिफण्ड किया जाना।

शासन कें पत्रांक संख्या 330/2012/14/1200/XXVII(8)/06 वित्त अनुभाग–06 देहरादून दिनांक 17 अप्रैल 2012 (दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 31.3.2015 तक)की अवधि के लिये समाधान योजना लागू किये जाने की शासन के निर्देश संख्या (9) में यह कहा गया कि यह योजना ऐच्छिक होगी और संविदाकार इसे न अपनाना चाहे तो उसका नियमित कर निर्धारण किया जायेगा। जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वह ऐसे प्रार्थना–पत्र प्रारूप में संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी धनराशि पर प्रस्तर 4 के अनुसार आगणित समाधान शुल्क भी जमा किया जायेगा। जो संविदी द्वारा काटी जा चुकी है,उसका उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में निर्धारित प्रारूप मे प्रमाण–पत्र देने पर धारा 35 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटर दी जाएगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 90 दिन के अन्दर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज सहित दिया जा सकता है। किसी संविदाकार के लिए इस बात की अनुमति नही होगी ि कवह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं मे से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दे। जिन संविदाकारों द्वारा पूर्व वर्ष में समाधान योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, उन्हे अगले वर्ष से संविदा कार्य चालू रहने की स्थिति में उस संविदा के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी। संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धो के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

शासन के संरकुलर संख्या 243 दिनांक 21.6.2016 के अनुसार संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धो के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की

आवश्यकता नही होगी केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी। इस पैराग्राफ को समाप्त कर दिया गया है, अब केवल पहले पैराग्राफ के अनुसार अर्थात संविदा प्राप्ति की तिथि से 90 दिन तक तथा अगले 90दिन तक 1.25 प्रतिशत ब्याज सहित ही विकल्प दिया जा सकता है।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर कर निर्धारण मसूरी संगत वर्ष **2015–16** में संविदाकार सर्वश्री कैड कन्सट्रक्शन बालाहिसर मसूरी टिन संख्या 05016043728(दिनांक 1/9/2015 से प्रभावी) के जारी अंतिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.9.2019 के अनुसार संविदाकार को कुल भुगतान रू0 1,54,03,980.00 संविदी विभाग से प्राप्त होना दशाते हुऐ 2 प्रतिशत की दर से रू0 3,08,079.00 समाधान शुल्क निर्धारित करके संगत वर्ष में संविदी विभाग द्वारा की गयी टी0डी0एस0 कटौती धनराशि रू0 6,13,672.00 में घटाकर अधिक जमा धनराशि को संविदाकार को वाउचर संख्या 2419 दिनांक 16.7.2019 को रू0 2,87,053.00 वापस कर दिया गया था, जोकि समाधान योजना के निर्देश के विपरीत था। क्योकि संविदाकार को वर्क ऑडर संख्या 04/2015–16 दिनांक 10.5.2016 को एवं संशोधित दिनांक 29.09.2016 को कुल रू0 3,35,79,219 की संविदी विभाग से प्राप्त हुई थी। दूसरा वर्क ऑडर संख्या 05/2016–17 दिनांक 1.7.2016 को रू0 74,94,663.00 वर्क ऑडर संख्या 06/2016–17 दिनांक 1.7.2016 को रू0 11,70,675.00 वर्क ऑडर संख्या 07/2016–17 दिनांक 25.12.2016 को रू0 42,92,018.73 का वर्क ऑडर संविदी विभाग से प्राप्त हुआ था। दोनो ही अनुबन्धो के लिये संविदाकार द्वारा वैट अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(2) के अनुसार संविदी की प्राप्ति दिनांक के बाद से 180 दिन और या 30 वाली शर्तो के अनुसार विकल्प नही दिया गया था, इसलिये संविदाकार को प्राप्त संविदी विभाग से प्राप्त वर्क ऑडर को समाधान शुल्क योजना से बहार करके नियमित कर निर्धारण की कार्यवाही करके कर आरोपणीय किया जाना था, जो इस प्रकार था। इससे स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा समाधान का विकल्प नही लिया गया है। इसलिये संविदाकार का वैट अधिनियम 2005 की धारा 25(7) में नियमित कर निर्धारण किया जाना था। जोकि इस प्रकार हैः–

₹ 1,54,03,980 x(-)30% labour= ₹ 46,21,194.00

Balance Amounts ₹ 1,07,82,786.00 को तीन समानुपात भाग में विभाजित कर दिया जाये तो इस प्रकार कर आरोपणीय होना था।

₹ 35,94,262x5% = ₹ 1,79,713.00

₹ 35,94,262x9% = ₹ 3,23,483.00

₹ 35,94,262x13.5% = ₹ 4,85,225.00

total tax ₹ 9,88,421.00 कर आरोपणीय होना था, व्यापारी संविदाकार का संगत वर्ष में कर के रूप में जमा टी0डी0एस0 ₹ 6,13,672.00 का लाभ के उपरान्त अवशेष ₹ 3,74,749.00 कर की वसूली संविदाकार फर्म से की जानी थी। जोकि नही की गयी थी।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर बताया गया है कि दिनांक 1.10.2015 को वर्क ऑडर प्राप्त हुआ और दिनांक 14.12.2015 को ऑनलाईन विकल्प प्रार्थना–पत्र दाखिल की गयी जो रसीद संख्या 0902141215414 है। जहॉ तक विकल्प के कॉलम संख्या 1 से 17 तक शून्य दर्ज है इस पर व्यापारी द्वारा कम्प्यूटर फार्म भरते समय तकनिकी कमियो का जिक्र किया गया। सिर्फ समाधान प्रार्थना–पत्र के कॉलम 03 से 06 तथा 08 तथा 10 से 17 तक में शून्य दर्ज होने के कारण व्यापारी को समाधान योजना का लाभ न देना न्यायोजित नही है। जहॉ तक अधिक धनराशि वापसी के समयोजन से पूर्व सत्यापन कराने का संबंध है, तो लेखापरीक्षा को अवगत कराना है कि प्रारूप–8 की मूलप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है।

2. इसी प्रकार से वर्ष **2016–17** की अंतिम कर निर्धारण पत्रावली एवं जारी कर आदेश दिनांक 20.3.2020 का अवलोकन करने पर भी पाया गया कि संविदाकार फर्म के द्वारा (सिविल संकर्म एवं अविभाजित संविदा के लिये उत्तराखंण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7की उपधारा 2 में शासन की समाधान योजना के अन्तर्गत देय कर के बदले समाधान राशि का विकल्प) रसीद संख्या 0902190516055 दिनांक 19.5.2016 को लिया गया है, जिसमें कॉलम संख्या 01 से कॉलम संख्या 17 तक में NA या 0 लिखा गया है। संविदाकार के द्वारा दिनांक 19.4.2016 को विकल्प लेने का प्रार्थना–पत्र दिया गया होना भी बताया गया है। संविदाकार द्वारा की गयी घोषणा में यह कहा गया है कि विकल्प लेने के प्रार्थना–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र/अनुबन्ध पत्र कर रहा हूॅ। तथा प्रस्तर 2 में अंकित संविदाओं/अनुबन्धो की प्रमाणित प्रतियॉ पत्र के साथ संलग्न्र है। संगत वर्ष 2016–17 में संविदाकार सर्वश्री कैड कन्सट्रक्शन बालाहिसर मसूरी के जारी अंतिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.3.2020 के अनुसार संविदाकार को कुल भुगतान रू0 6,46,62,916.00 संविदी विभाग से प्राप्त होना दशाते हुऐ 2 प्रतिशत की दर से रू0 12,93,258.00 समाधान शुल्क निर्धारित करके संगत वर्ष में संविदी विभाग द्वारा की गयी टी0डी0एस0 कटौती धनराशि रू0 38,79,775.00 में घटाकर अधिक जमा धनराशि को संविदाकार को वाउचर संख्या 2539 दिनांक 11.5.2020 को रू0 25,86,520.00 वापस कर दिया गया था, जोकि समाधान योजना के निर्देश के विपरीत था। क्योकि संविदाकार को वर्क ऑडर संख्या 04/2015–16 दिनांक 10.5.2016 को एवं संशोधित दिनांक 29.09.2016 को कुल रू0 3,35,79,219 की संविदी विभाग से प्राप्त हुई थी। दूसरा वर्क ऑडर संख्या 05/2016–17 दिनांक 1.7.2016 को रू0 74,94,663.00 वर्क ऑडर संख्या 06/2016–17 दिनांक 1.7.2016 को रू0 11,70,675.00 वर्क ऑडर संख्या 07/2016–17 दिनांक 25.12.2016 को रू0 42,92,018.73 का वर्क ऑडर संविदी विभाग से प्राप्त हुआ था। दोनो ही अनुबन्धो के लिये संविदाकार द्वारा वैट अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(2) के अनुसार संविदी की प्राप्ति दिनांक के बाद से 180 दिन और या 30 वाली

शर्तो के अनुसार विकल्प नही दिया गया था, इसलिये संविदाकार को प्राप्त संविदी विभाग से प्राप्त वर्क ऑडर को समाधान शुल्क योजना से बहार करके नियमित कर निर्धारण की कार्यवाही करके कर आरोपणीय किया जाना था, जो इस प्रकार था। इससे स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा समाधान का विकल्प नही लिया गया है। इसलिये संविदाकार का वैट अधिनियम 2005 की धारा 25(7) में नियमित कर निर्धारण किया जाना था। जोकि इस प्रकार हैः–

₹ 6,46,62,916 x(-)30% labour= ₹ 1,03,98,874.00

Balance Amounts ₹ 5,42,64,042 को तीन समानुपात भाग में विभाजित कर दिया जाये तो इस प्रकार कर आरोपणीय होना था।

₹ 18,08,014x5%= ₹ 7,07,806.00

₹ 18,08,014x9%= ₹ 12,74,050.00

₹ 18,08,014x13.5%=₹ 19,11,077.00

total tax ₹ 38,92,932.00 कर आरोपणीय होना था, व्यापारी संविदाकार का संगत वर्ष में जमा टी0डी0एस0 ₹ 36,40,145.00 का लाभ देते हुऐ ₹ 2,52,787.00 कर की वसूली भी आरोपणीय है। संविदाकार के फार्म 8 डी संख्या 182830 में संविदी विभाग द्वारा संविदाकार को संगत वर्ष में केवल रू0 4,67,19,558.00 का ही भुगतान होना बताया गया है, जबकि जारी आदेश में संविदाकार को रू0 6,46,62,916.00 होना दर्शाया गया है। अन्तर अधिक भुगतान प्राप्ति धनराशि रू0 1,79,43,358.00 का फार्म 8 डी पत्रावली में नही था। फार्म 8 डी के अनुसार चैक संख्या 392461 दिनांक 11.7.2017 के अनुसार रू0 84,91,694.00का भुगतान संगत वर्ष 2016–17 में दर्शाया गया है। जबकि उक्त अवधि के अनुसार यह भुगतान वर्ष 2017–18 अर्थात जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये इस धनराशि का लाभ संविदाकार को संगत वर्ष 2016–17 में देय नही था। जोकि दिया गया है। संविदाकार को फार्म 8 डी के अनुसार रू0 4,67,19,558.00 प्राप्त होने पर अधिकतम 6 प्रतिशत से कटौती धनराशि रू0 28,03,173.48 होता है, जबकि टी0डी0एस0 कटौती में रू0 38,79,775.00 कटौती होना बताया गया। जारी कर आदेश संख्या 1081 दिनांक 20. 3.2020 में खातापाल को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया था, कि वह अधिक जमा दर्शायी गयी धनराशि रू0 25,86,517.00 का सत्यापन उपरान्त ही नियमानुसार वापसी/समायोजन की कार्यवाही करे।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि लेखापरीक्षा को जॉचोपरान्त उचित कार्यवाही कर अवगत करया जाएगा। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि संविदाकार फर्म के दोनो वर्षो के दाखिल विकल्प प्रार्थना पत्रों में जोकि अलग अलग वर्ष एवं तिथि में दाखिल किये गये है, जिसमें तकनिकी तुट्रि कॉलम 01 से 17 तक में शून्य अंकित है, होना बताया गया है, यह तकनिकी त्रुटि नही है बल्कि सोच समझकर की गयी अनियमितता थी, जिसको कार्यालय द्वारा स्वीकार करके अनियमित लाभ प्रदान करके कम समाधान धनराशि का आरोपणय किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-7 सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.38 लाख ।

The Uttarakhand Luxuries (in Hotels) Tax Rules, 2009, **Rule 3(B) Period within which and the manner in which the tax be paid:**

"The amount of tax payable by a Hotel owner under sub-section (1) of Section 5 of the Act shall be paid into a Government Treasury or the State Bank of India by a Challan in L.T. Form I within five days after the end of the month to which the tax collected by the Hotel owner relates".

The Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 Chapter-II (Imposition of Luxury Tax) **Section-10: Penalty:-**

"Without prejudice to the provisions of sub-section (2) of Section 5, if any person falls to pay and sum payable under Section 5 or Section 7 within the prescribed period he shall, on conviction be liable to pay a <u>fine not exceeding rupees five thousand</u> and when the offence is a continuing one, with a further <u>fine not exceeding rupees one hundred per day</u> during which the offence continues."

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), राज्य कर, मसूरी की लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 में कर निर्धारण किये गये सुख साधन कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि **<u>"संलग्न विवरण"</u>** में उल्लिखित होटल व्यवसायियों द्वारा देय कर विलम्ब से जमा किया गया था । अतः विलम्ब से जमा कर पर उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार ` 38,300 अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि जाँचोपरान्त कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

सुख साधन कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम संख्या	होटल का नाम	सुख साधन कर पंजीयन संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश का दिनांक	माह	धनराशि (`)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिन)	आरोपणीय अर्थदण्ड (`)
1.	सर्वश्री होटल हिल व्यू, कुलडी बाजार, मसूरी ।	05LT0009219	2016-17	20.03.2020	05/2016	2,400	05.06.2016	06.06.2016	01	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					06/2016	9,070	05.07.2016	08.07.2016	03	100 x 3 = 300
					07/2016	2,085	05.08.2016	06.08.2016	01	100 x 1 = 100
					08/2016	1,015	05.09.2016	06.09.2016	01	100 x 1 = 100
					12/2016	2,600	05.01.2017	16.01.2017	11	100 x 11 = 1,100
					01/2017	650	05.02.2017	14.02.2017	09	100 x 9 = 900
									योग (i)	**7,500**
2.	सर्वश्री वैल्यू होटल एण्ड स्पा, कैमल बैंक रोड, मसूरी ।	05LT0009170	2016-17	20.03.2020	01/2017	6,508	05.02.2017	06.02.2017	01	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					02/2017	1,241	05.03.2017	06.03.2017	01	100 x 1 = 100
									योग (ii)	**5,100**
3.	सर्वश्री होटल आई0 इण्डिया (बोलिवुड होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा0 लि0), बिग बैण्ड, पिक्चर पैलेस, मसूरी	05002936118	2016-17	30.04.2019	04/2016	1,550	05.05.2016	10.05.2016	5	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					05/2016	25,350	05.06.2016	02.07.2016	27	100 x 27 = 2,700
					11/2016	900	05.12.2016	11.01.2017	37	100 x 37 = 3,700
					11/2016	3,930	05.12.2016	09.12.2016	04	100 x 4 = 400

					12/2016	15,050	05.01.2017	11.01.2017	06	100 x 6 = 600
					01/2017	7,888	05.02.2017	16.03.2017	39	100 x 39 = 3,900
					02/2017	4,660	05.03.2017	16.03.2017	11	100 x 11 = 1,100
					03/2017	2,740	05.04.2017	10.04.2017	5	100 x 5 = 500
									योग (iii)	**17,900**
4.	सर्वश्री होटल आई0 इण्डिया (बोलिवुड होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा0 लि0), बिग बैण्ड, पिक्चर पैलेस, मसूरी	05002936118	2017-18	30.04.2019	04/2017	61,900	05.05.2017	12.05.2017	7	5,000 से अनधिक (प्रथम बार)
					05/2017	70,200	05.06.2017	03.07.2017	28	100 x 28 = 2,800
									योग (iv)	**7,800**
									योग [(i) + (ii) + (iii) + (iv)]	**38,300**

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर- 08 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.21 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप मेः-

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपये से अधिक हो, का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)***,

(ii) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)***,

(iii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)*** ।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, मसूरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **<u>"संलग्न विवरण"</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 2,94,403 को विलम्ब से जमा किया गया था । अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 20,815 (अर्थात् ` 0.21 लाख) अर्थदण्ड देय था जिसे आरोपित नहीं किया गया **(विवरण संलग्न)** था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण ` 20,815/- का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्न विवरण

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माह/त्रैमास	अदा कर (` में)	कर भुगतान की अनुमन्य तिथि	कर भुगतान की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड का न्यूनतम दर (प्रतिशत में)	न्यूनतम अर्थदण्ड (` में)	कर भुगतान में विलम्ब
1.	सर्वश्री दि इम्पीरियल स्कॉवयर गांधी चौक, मसूरी । (TIN No. 05007495797)	2016-17 दिनांक 16.11.19	प्रथम त्रैमास (04/2016 से 06/2016)	1,06,662(VAT) 32,411 (Cess)	20.07.2016	22.07.2016	5%	5,333 1,621	2 दिन
			द्वितीय त्रैमास (07/2016 से 09/2016)	49,105 (VAT)	20.10.2016	28.10.2016	5%	2,455	8 दिन
			08/2016	5,040 (Cess)	20.09.2016	22.09.2016	5%	252	2 दिन
			तृतीय त्रैमास (10/2016 से 12/2016)	50,301 (VAT)	20.01.2017	23.01.2017	5%	2,515	3 दिन
			12/2016	5,954 (Cess)	20.01.2017	23.01.2017	5%	298	3 दिन
			01/2017	4,298 (Cess)	20.02.2017	03.03.2017	5%	215	11 दिन
योग **(i)**								**12,689**	
2.	सर्वश्री नन्दन होटल प्रा0 लि0, बड़ौदरा स्टेट, मसूरी । (TIN No. 05002995094)	2016-17 दिनांक 22.08.19	प्रथम त्रैमास (04/2016 से 06/2016)	40,632	20.07.2016	15.10.2016	20%	8,126	2 माह 25 दिन
योग **(ii)**								**8,126**	
योग				**2,94,403**	**महायोग [(i)+(ii)]**			**20,815**	

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर- 9 क्रय बीजकों के अभाव में आई0टी0सी का अनियमित लाभ ` 1.52 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-6(9)(क)(i) के अनुसार, किसी ब्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स लाभ का दावा नहीं किया जायेगा यदि माल का विक्रय करने वाले पंजीकृत ब्यौहारी से प्राप्त बिक्री बीजक जिसमें इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य है, ब्यौहारी के पास मूलरूप में या धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार द्वितीय प्रति उपलब्ध नहीं है ।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, मसूरी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीखा जांच में पाया गया कि : **(i)** (व्यापारी सर्वश्री दि इम्पीरियल स्कॉवयर, गांधी चौक, मसूरी (टिन नं0 05007495797) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा संगत वर्ष में कुल खरीद प्रान्त के भीतर से ` 40,51,373 की खरीद करना स्वीकार की है तथा विभिन्न दर से कुल ` 1,27,183 की आई0टी0सी0 का दावा किया गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था ।

परन्तु पत्रावली में प्रांतीय खरीद से संबन्धित क्रय सूची उपलब्ध नहीं थी। अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-6(9)(क) के अनुसार, ब्यौहारी को दावाकृत इनपुट टैक्स ` 1,27,183 का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) व्यापारी सर्वश्री नन्दन होटल प्रा0 लि0, बड़ौदरा स्टेट, मसूरी (टिन नं0 05002995094) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः ` 7,820 एवं ` 16,649 की आई0टी0सी0 का दावा किया गया जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था, परन्तु कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में क्रय सूची (Purchase List) संलग्न नहीं थी।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित व्यापारी द्वारा दिनांक 28.10.2016 को बार लाईसेन्स हेतु बिक्री प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, परन्तु व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कुल शराब की बिक्री एवं वसूले गये "उपकर का विवरण भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा बिना क्रय सूची के दावा किये गये आई0टी0सी0 कुल ` 1,51,652/- अर्थात् (` 1,27,183 + ` 7,820 + ` 16,649) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा ।

अतः **क्रय बीजकों के अभाव में आई0टी0सी** ₹ 1,51,652/- **का अनियमित लाभ दिये जाने का प्रकरण** उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-01 फार्म -एच के सत्यापन से संबन्धित।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक:2438/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/प्रवर्तन अनुभाग/2014-15/ दे0दून दिनांक 02/09/2014 के अनुसार ` 5,00,000 (पाँच लाख) या उससे अधिक धनराशि के प्रत्येक फार्म/घोषणा पत्र (फार्म-'सी'/फार्म-'एफ'/फार्म-'एच') के सत्यापन का कार्य सम्बन्धित सम्भाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के कार्यालय में स्थापित सत्यापन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाना है । इसके अतिरिक्त संवेदनशील वस्तुएं जैसे- आयरन एण्ड स्टील, खाद्य तेल आदि के सत्यापन हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सत्यापन कक्ष में तैनात अधिकारी या उनके संभाग में तैनात कर निर्धारण अधिकारी को भेजकर भी सत्यापन करायेंगे ।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, मसूरी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री आर0 वी0 इण्डस्ट्रीज यूनिट ऑफ विशाल गर्ग, पिक्चर पैलेस, मसूरी (टिन नं0 05008152293) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 द्वारा ` 60,000 के संवेदनशील वस्तुओं ("आयरन एवं स्टील") की एक्सपोर्ट की बिक्री घोषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में फार्म-"एच" व बिल ऑफ लेडिंग दाखिल किये गये थे । परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त फार्म-"एच" का सत्यापन नहीं कराया गया था ।

अत: उक्त फार्म का सत्यापन करा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित रहेगा ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-09/2010-11	-	प्रस्तर-01
CT-40/2012-13	-	प्रस्तर-3A,3B, प्रस्तर-4
CT-153/2017-18	-	प्रस्तर-2
CT-42/2019-20	प्रस्तर-01	प्रस्तर-01,02,03

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मसूरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: लोग बुक (वाहन संख्या UA 07T/3702)

2. **सतत् अनियमितताएः** टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय,	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) राज्य कर, मसूरी (01.04.2019 to 01.07.2019)
(ii)	श्री सुरेश कुमार	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) राज्य कर, मसूरी (01.07.2019 to 31.03.2020)

(iii)	श्री अमित कुमार	असिस्टेन्ट कमिश्नर (वर्तमान में)
(iv)	श्री महेश चन्द्र जोशी	राज्य कर अधिकारी (वर्तमान में)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV